

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

सतोष बनाम तहसीलदार

दावा/प्रार्थना पत्र संख्या:- 21/2022 पत्थरगढी

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
----------	---------------------------	----------------------	-------------

16.12.22 पत्रावली आज कैम्प में पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी प्रश्नागत भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 से प्रमाणित है तथा भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान हो चुका है इसलिये पत्थरगढी किया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1728/0.48 1758/0.57 हो

वाके मौजा गोनेड़ा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर का पूर्व में हुए सीमाज्ञान के अनुसार पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार, कोटपूतली को दिये जाते है। पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
कोटपूतली (जयपुर)